

## विषय वस्तु

1. प्रस्तावना .....	2-4
2. धोखाधड़ी का वर्गीकरण .....	4-6
3. भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की सूचना देना .....	6-11
3.1 1 लाख रु और उससे अधिक की धोखाधड़ी .....	6-8
3.2 बेईमान उधारकर्ताओं द्वारा की गयी धोखाधड़ी .....	8-10
3.3 राशि 100 लाख रु और उससे अधिक की धोखाधड़ी.....	10
3.4 मामले जिनमें धोखाधड़ी के प्रयास किए गए.....	10-11
4. तिमाही विवरणियाँ.....	11-13
4.1 धोखाधड़ी के लंबित मामलों से संबन्धित रिपोर्ट .....	11-13
4.2 धोखाधड़ी पर प्रगति रिपोर्ट .....	13
5. बोर्ड को प्रस्तुत रिपोर्ट .....	13-17
5.1 धोखाधड़ियों की सूचना देना .....	13-14
5.2 धोखाधड़ी की तिमाही समीक्षा .....	14-15
5.3 धोखाधड़ी की वार्षिक समीक्षा .....	15-17
6. पुलिस /केंद्रीय अन्वेषण व्यूरो को धोखाधड़ी की सूचना देने हेतु दिशानिर्देश .....	17-19
7. चोरी, सेंधमारी , डकैती तथा बैंक लूटने के मामलों की सूचना देना .....	20
संलग्नक .....	21
<b>धोखाधड़ी निगरानी विवरणियाँ (एफ एम आर )</b>	
एफ एम आर -1 : बैंकों में वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी पर रिपोर्ट .....	22-29
एफ एम आर- 2 : धोखाधड़ी के लंबित मामलों पर तिमाही रिपोर्ट .....	30-32
एफ एम आर -3 : धोखाधड़ी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट .....	33-36
एफ एम आर -4 : डकैती /लूटपाट /चोरी/ सेंधमारी पर रिपोर्ट .....	37

## 1. परिचय

1.1 बैंकों में धोखाधड़ी, डॉकेती, लूटमार इत्यादि की होने वाली घटनाएं चिंता का विषय हैं। जहां धोखाधड़ी को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं बैंकों की है, भारतीय रिजर्व बैंक समय- समय पर बैंकों को धोखाधड़ी प्रवण प्रमुख क्षेत्रों तथा उन्हें रोकने के लिए आवश्यक रक्षोपायों की जानकारी देता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक सुकल्पित स्वरूप की ऐसी धोखाधड़ियों के ब्यौरे भी बैंकों को देता रहा है जिसकी सूचना पहले नहीं दी गई है ताकि बैंक उपयुक्त प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों द्वारा आवश्यक रक्षोपाय / निवारक उपाय प्रारंभ कर सकें। बैंकों को बेर्इमान किस्म के उधारकर्ताओं तथा उनसे संबंधित पार्टियों की जानकारी भी दी जा रही है ताकि उनसे व्यवहार करते समय बैंक सावधानी बरत सकें। इस सतत प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक धोखाधड़ियों से संबंधित पूरी जानकारी और उनके द्वारा की गई अनुवर्ती कारवाई से रिजर्व बैंक को अवगत कराएं। अतः, बैंक धोखाधड़ियों के संबंध में सूचना देने के लिए निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्दिष्ट की गई सूचना प्रणाली अपनाएं।

1.2 बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओस) को “धोखाधड़ी रोकथाम तथा प्रबंधन कार्य” पर फोकस देना होगा ताकि दूसरों के बीच धोखाधड़ी मामलों में प्रभावी जांच तथा धोखाधड़ी मामलों की शीघ्र और अचूक रिपोर्टिंग उचित विनियामक तथा विधि प्रत्यावर्तन प्राधिकारियों (जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक शामिल है) को की जा सके।

1.3 धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी निगरानी तथा धोखाधड़ी जांच कार्य, कम से कम उच्च राशि की धोखाधड़ियों के संबंध में, बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, इसके बोर्ड की लेखा परिक्षा समिति तथा बोर्ड की विशेष समिति द्वारा किया जाना चाहिए।

1.4 बैंक, उनके संबंधित बोर्डों का अनुमोदन लेकर, उनके बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की खराबी हेतु कार्य तथा जवाबदेयता के स्वामित्व के संबंध में शासन प्रणाली के मानकों पर आधारित, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन तथा धोखाधड़ी जांच कार्य हेतु आंतरिक नीति बना सकते हैं। स्वामित्व तथा जवाबदेयता हेतु उपर्युक्त मानकों द्वारा निर्धारित किया गया उक्त व्यापक शासन प्रणाली ढांचा परिभाषित तथा समर्पित संगठनात्मक व्यवस्था तथा प्रचालन प्रक्रियाओं पर आधारित हो सकता है।

1.5 जहाँ तक 1.00 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक की धोखाधड़ियों की सूचना बोर्ड की विशेष समिति को देने का संबंध है, इस संबंध में पैराग्राफ सं. 5.2.4 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

1.6 यह देखा गया है कि प्रायः धोखाधड़ी हो जाने के काफी समय बाद बैंकों को उसकी जानकारी मिलती है। कभी-कभी धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को काफी देरी से प्रस्तुत की जाती हैं और वह भी अपेक्षित (पूरी) जानकारी के बिना। कुछ अवसरों पर तो भारतीय रिजर्व बैंक को बड़ी राशियों से संबंधित धोखाधड़ियों की जानकारी प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अतः बैंकों को चाहिए कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सूचना - प्रणाली को उपयुक्त रूप से कारगर बनाया गया है ताकि धोखाधड़ियों से संबंधित सूचना अविलंब दी जा सके। बैंकों को चाहिए कि वे रिजर्व बैंक को सूचना देने में होने वाली देरी के संबंध में स्टाफ को जवाबदेह बनाएं।

1.7 धोखाधड़ियों से संबंधित सूचना देर से देने और उसके बाद बेईमान उधारकर्ताओं की कार्य-प्रणाली के संबंध में अन्य बैंकों को सतर्क करने और उनके विरुद्ध चेतावनी सूचनाएं जारी करने में देरी होने से इसी प्रकार की धोखाधड़ियां किसी अन्य स्थान पर भी हो सकती हैं। अतः बैंकों को चाहिए कि वे रिजर्व बैंक को धोखाधड़ियों के मामलों की सूचना देने के लिए इस परिपत्र में निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 (ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट दंडात्मक कारबाई की जाएगी।

1.8 "फ्राइस रिपोर्टिंग एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम" संबंधी एक साफ्टवेअर पेकेज बैंकों को जून 2003 में भेजा गया था। इस सॉफ्टवेअर में कुछ संशोधन किये गए थे जो बैंकों को रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीएस एफजीवी (एफ) सं. 8897/23.10.001/2005-06 दिनांक 20 दिसंबर 2005 के माध्यम से सूचित किये गए थे। बैंकों को निर्धारित विवरणियां और आंकड़े केवल साफ्ट कॉपी में (एफएमआर-1 रिपोर्ट को छोड़कर, जिसे सॉफ्ट और और हार्ड कॉपी दोनों में प्रस्तुत किया जाना है) भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग/वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) (अनुलग्नक में सूचीबद्ध 12 बैंकों) के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना है जिसके क्षेत्राधिकार में नीचे पैराग्राफ 3.1.4 में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार बैंक का प्रधान कार्यालय/शाखा अवस्थित है।

1.9 बैंकों को चाहिए कि वे महाप्रबंधक स्तर के किसी पदाधिकारी को विशेष रूप से इस बात के लिए नामित करें जो इस परिपत्र में दी गई सभी विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

1.10 केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बंगलुरु धोखाधड़ियों इत्यादि की रिपोर्टिंग करने हेतु उत्तरदायी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों की एक निदेशिका प्रकाशित करेगा। बैंक/संस्थाओं को अधिकारियों के नामों में कोई भी बदलाव, जो निदेशिका में शामिल करने हेतु आवश्यक होगा तथा जब और जिस समय मांगा

जाए प्राथमिकता के आधार पर बंगलुरु स्थित केंद्रीय कार्यालय,बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष को प्रस्तुत करना चाहिए।

## 2. धोखाधड़ियों का वर्गीकरण

2.1 धोखाधड़ियों के मामलों की सूचना देने में एकरूपता लाने के लिए धोखाधड़ियों को भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- (क) दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वास भंग।
- (ख) जाली लिखतों, लेखा-बहियों में हेर-फेर अथवा बेनामी खातों के जरिये कपटपूर्ण नकदीकरण और संपत्ति का परिवर्तन।
- (ग) पुरस्कृत करने अथवा अवैध तुष्टीकरण के लिए दी गयी अनधिकृत कृष्ण सुविधाएं।
- (घ) लापरवाही और नकदी की कमी।
- (ङ) छल और ज़ालसाजी।
- (च) विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों में अनियमितताएं।
- (छ) अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी, जो उक्त किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत शामिल न हो।

2.2 ऊपर मद (घ और च ) में उल्लिखित 'लापरवाही और नकदी की कमी' तथा 'विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों में अनियमितताओं' के मामलों को तभी धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया जाए यदि छल करने/धोखा देने के इरादों का संदेह हो/इरादा सावित हो गया हो। तथापि, निम्नलिखित मामले, जिनमें पता चलने वाले दिन धोखाधड़ी के इरादों का संदेह न हो/प्रमाणित न हो, धोखाधड़ी माने जाएंगे तथा तदनुसार सूचित किए जाएंगे :

- (क) 10,000/- रुपये तथा उससे अधिक के नकदी की कमी के मामले, (एटीएम सहित)तथा
- (ख) 5,000/- रुपये से अधिक के नकदी की कमी के मामले यदि वे प्रबंध-तंत्र/लेखा-परीक्षक/निरीक्षण अधिकारी द्वारा पाए गए हों तथा नकदी का कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा घटित होने वाले दिन उनकी सूचना न दी गई हो।

2.3 एकरूपता सुनिश्चित करने तथा दोहरेपन से बचने के लिए जाली लिखतों से संबंधित धोखाधड़ियों की सूचना अदाकर्ता बैंकर द्वारा ही दी जाए, वसूलीकर्ता बैंकर द्वारा नहीं। फिर भी, उन लिखतों के मामलों में, जो वास्तविक हैं, लेकिन जिनका संग्रहण धोखाधड़ीपूर्वक उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उनका वास्तविक मालिक नहीं है, वसूलीकर्ता बैंकर को जो

धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, मामले की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को करनी चाहिए। लिखत वसूली के ऐसे मामले में जहाँ वसूली से पूर्व रकम की जमा प्रविष्टियां कर दी गई हों तथा बाद में लिखत नकली/जाली पाई गई हो तथा अदाकर्ता बैंक द्वारा लौटा दी गई हो, वहाँ वसूलीकर्ता बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक में एफएमआर-1 दाखिल करना चाहिए क्योंकि लिखत की वसूली से पहले रकम अदा करने की वजह से हानि उसे उठानी पड़ी है।

2.3.1 अभी तक की भाँति भुगतानकर्ता बैंकों द्वारा संक्षिप्त लिखतों से संबंधित धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग बंगलुरु स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष के साथ-साथ बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग/एसएसएम के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक का प्रधान कार्यालय/शाखा अवस्थित है, किया जाना जारी रहेगा। समाशोधन में भेजे गये नकली/जाली लिखतों के कारण हुई धोखाधड़ियों के मामलों में प्रस्तुतकर्ता बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे पुलिस प्राधिकारियों के यहाँ प्राथमिकी दर्ज करवाने तथा धोखाधड़ी की भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने हेतु अंतर्निहित लिखत की जब और ज्यों मांग की जाए, तत्काल अदाकर्ता/भुगतानकर्ता बैंक को सौंप दें।

2.4 एक ही बैंक की दो या अधिक शाखाओं को शामिल करते हुए रूपांतरित/जाली चेकों को भुनाना।

2.4.1 एक ही बैंक की दो या अधिक शाखाओं को शामिल करते हुए रूपांतरित/जाली चेकों के संग्रहण के मामले में, वह शाखा जहाँ रूपांतरित/जाली चेक भुनाया गया है, उक्त बैंक के प्रधान कार्यालय को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करनी चाहिए। तत्पश्चात, उक्त बैंक का प्रधान कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक के पास धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करेगा।

2.4.2 कोर बैंकिंग सोल्युशन (सीबीएस) के अंतर्गत एक ही बैंक की दो या अधिक शाखाओं को शामिल करते हुए रूपांतरित/जाली चेकों के भुगतान करने/भुनाने पर वहाँ यह विवाद/मतभेद की संभावना हो सकती है कि शाखा जहाँ चेक का आहर्ता खाते को संचालित करता है या फिर शाखा जहाँ चेक भुनाया गया है इनमें से किस शाखा को बैंक के प्रधान कार्यालय को मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए। ऐसे मामलों में वह शाखा जिसने रूपांतरित/जाली चेक के विरुद्ध भुगतान निर्गमन किया है, को प्रधान कार्यालय को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करनी चाहिए। तत्पश्चात, उक्त बैंक का प्रधान कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक के पास धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करेगा।

2.5 चोरी, लूटपाट, डैकैती तथा बैंक लूटने के मामलों को धोखाधड़ी के रूप में सूचित नहीं करना चाहिए जैसा कि अनुच्छेद 7 में विवरण दिया गया है, ऐसे मामलों को अलग से सूचित किया जाए।

- 2.6 विदेश व्यापार शाखाओं/कार्यालयों वाले बैंकों (विदेशी बैंकों से इतर) को चाहिए कि वे ऐसी शाखाओं/कार्यालयों में होने वाली सभी धोखाधड़ियों की सूचना नीचे पैरा 3 में दिए गए फॉर्मेट और प्रक्रिया के अनुसार रिज़र्व बैंक को दें।

### 3. धोखाधड़ियों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को देना

बैंकों को रु. 1.00 लाख से नीचे की राशि के धोखाधड़ी के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक को न तो हार्ड कॉपी में और न ही सॉफ्ट कॉपी में एफएमआर-1 विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तथापि, ऐसे मामलों में बैंकों को अपनी तरफ से एफआरएमएस पैकेज के माध्यम से एफएमआर-1 प्रारूप में (रु. 1.00 लाख से कम) अलग से आंकड़ा प्रविष्ट करना चाहिए जो स्वतः एफएमआर-2 विवरणी में अभिग्रहित हो जाएगा और संबंधित बैंक के लिए धोखाधड़ी से संबंधित समेकित डेटाबेस का हिस्सा बन जाएगा।

#### 3.1 एक लाख रुपए तथा उससे अधिक की राशि वाली धोखाधड़ियाँ

- 3.1.1 एक लाख रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ियों के ऐसे सभी मामलों की धोखाधड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए जो बैंकों को गलत बयानी, विश्वास भंग, लेखा बहियों में हेरफेर, चेकों, ड्राफ्टों तथा विनिमय बिलों जैसे लिखतों के कपटपूर्ण नकदीकरण, बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों पर अनधिकृत रूप से कार्य करने में, अधिकार के दुरुपयोग, गवन, निधियों के दुर्विनियोजन, संपत्ति के परिवर्तन, छल, कमी, अनियमितताओं आदि के माध्यम से हुए हों।
- 3.1.2 धोखाधड़ी की रिपोर्ट ऐसे मामलों में भी प्रस्तुत की जाएं जहां केन्द्रीय जांच एजेंसियों ने स्वयं ही आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी हो और/अथवा जहां रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया हो कि उन्हें धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया जाए।
- 3.1.3 बैंक अपनी अनुषंगियों, सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में हुई धोखाधड़ियों की भी सूचना केवल एफएमआर-1 प्रारूप में हार्ड कॉपी में दें। तथापि, ऐसी धोखाधड़ियों को बकाया धोखाधड़ियों तथा नीचे पैरा 4 में उल्लिखित तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल न किया जाए। ऐसी धोखाधड़ियों को किसी भी चरण में एफआरएमएस पैकेज में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा।
- 3.1.4 रु. 1.00 लाख और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी के मामलों में धोखाधड़ी रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी एफएमआर फॉर्मेट में धोखाधड़ी का पता चलने के तीन सप्ताह के भीतर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय के धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बंगलूरु तथा डीबीएस/एसएसएम के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएं जिसके

क्षेत्राधिकार में बैंक का प्रधान कार्यालय आता है। भारतीय रिजर्व बैंक को हार्ड कॉफी में धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग निम्नानुसार होगी :

**अ) रु. 1 लाख से 50 लाख तक की राशि संबंधी धोखाधड़ी के मामले**

- i) उस क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित शाखा में धोखाधड़ी हुई है।
- ii) उस क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी हुई है।

**नोट :** यदि बैंक वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) के पर्यवेक्षी दायरे के अंतर्गत आता है तो रिपोर्टिंग बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी हुई है, के बदले भारतीय रिजर्व बैंक, वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) (अनुबंध में सूचीबद्ध 12 बैंक), बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, चौथी मंजिल, सेंटर 1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुबई – 400005 या जहां एसएसएम स्थित है उस भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय को की जानी है।

**ब) रु. 50 लाख और उससे ऊपर की राशि संबंधी धोखाधड़ी के मामले**

- i) डीबीएस के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी हुई है।

**नोट :** यदि बैंक वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) के पर्यवेक्षी दायरे के अंतर्गत आता है तो रिपोर्टिंग क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी हुई है, के बदले भारतीय रिजर्व बैंक, वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) (अनुबंध में सूचीबद्ध 12 बैंक), बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, चौथी मंजिल, सेंटर 1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुबई – 400005 या जहां एसएसएम स्थित है उस भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय को की जानी है।

- ii) भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 10/3/8, नृपतुंगा रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 5467 बंगलूरु -560001 को की जानी है।

**3.1.5** बैंकों से प्राप्त एफएमआर 1 विवरणियों की संवीक्षा करते समय यह पाया गया है कि विवरणियों में कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खाली छोड़ दिया गया है। चूंकि निगरानी व पर्यवेक्षी उद्देश्यों हेतु बैंकों में घटित होने वाली धोखाधड़ियों पर पूर्ण विवरण अति महत्वपूर्ण होते हैं, अतः बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तुत किए गए आंकड़े सही व अद्यतन हों। प्रसंगवश, यदि किसी मद के संबंध में कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया जाना है, अथवा इसके अतिरिक्त यदि एफएमआर 1 विवरणी की रिपोर्टिंग के समय किसी

मद का व्यौरा उपलब्ध नहीं है तो बैंक "कोई विवरण सूचित नहीं किया जाना है" अथवा "वर्तमान में व्यौरे उपलब्ध नहीं है" इत्यादि दर्शा सकते हैं। ऐसी स्थिति में, बैंकों को आंकड़ा एकत्र करना है और इसका व्यौरा एफएमआर 3 विवरणी के माध्यम से तिमाही आधार पर नियमित प्रस्तुत करना है।

### 3.2 बेर्इमान किस्म के उधारकर्ताओं द्वारा की गई धोखाधियां

3.2.1 यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में धोखाधियां बेर्इमान किस्म के उधारकर्ताओं द्वारा, जिनमें कंपनियां, भागीदारी फर्में/साझा कंपनिया/स्वाम्य प्रतिष्ठान और/अथवा उनके निदेशक/भागीदार शामिल हैं, निम्नलिखित समेत विभिन्न तरीकों से की जाती हैं :

- (i) लिखतों की कपटपूर्ण भुनाई अथवा समाशोधन में काइट फ्लाइंग।
- (ii) बैंक की जानकारी के बिना गिरवी रखे गए स्टॉक को कपटपूर्ण ढंग से हटाना/दृष्टिबंधक रखे गए स्टॉक को बेचना/स्टॉक विवरण में स्टॉकों का मूल्य बढ़ाकर दर्शाना तथा अतिरिक्त बैंक वित्त का आहरण।
- (iii) उधारकर्ता इकाइयों के बाहर निधियों का अपयोजन, उधारकर्ताओं, उनके भागीदारों आदि के स्तर पर रुचि का अभाव अथवा आपराधिक उपेक्षा तथा प्रबंधन में चूक के कारण इकाई का रुग्ण होना और बैंक कर्मियों के स्तर पर उधार खातों में होने वाले परिचालनों पर प्रभावी पर्यवेक्षण में कमी के कारण अग्रिमों की वसूली में कठिनाई होना।

3.2.2 उधार खातों में धोखाधियों के संबंध में एफएमआर-1 के भाग 'बी' के तहत यथा निर्धारित अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3.2.3 बैंकों को बेर्इमान उधारकर्ताओं, उधारकर्ता कंपनियों, साझा/मालिकाना कंपनियों और उनके निदेशकों, साझेदारों व मालिकों इत्यादि तथा उनके उन सहयोगियों का जिन्होंने बैंकों को धोखा दिया है, के ऋण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय समुचित सावधानी बरतनी चाहिए।

उपरोक्त उधारकर्ताओं के अतिरिक्त - धोखाधड़ी करनेवालों, तीसरी पार्टियों, यथा - बिल्डरों, वेअरहाउस/कोल्ड स्टोरेज मालिकों, मोटर वाहन/ट्रैक्टर विक्रेताओं, ट्रेवल एंजेंटों इत्यादि और पेशेवरों यथा - शिल्पकारों, मूल्यांककों, सनदी लेखाकारों, अधिवक्ताओं आदि ने यदि ऋण की

मंजूरी/संवितरण अथवा धोखाधड़ी करने में सहयोग हेतु उल्लेखनीय भूमिका निभायी है तो उन्हें भी उत्तरदायी ठहराना चाहिए । दिनांक 16 मार्च 2009 के परिपत्र डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी.बीसी.सं. 3/23.08.001/2008-09 के माध्यम से दी गई सूचना के अनुसार बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे धोखाधड़ी की घटनाओं में शामिल ऐसी तीसरी पार्टियों का ब्यौरा भारतीय बैंक असोसिएशन (आईबीए) को दें ।

आईबीए को रिपोर्ट करने से पहले, बैंक संबंधित तीसरी पार्टियों के शामिल होने के बारे में आत्मसंतुष्ट हो लें तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का भी अवसर दें । इस संबंध में बैंकों को औपचारिक कार्यविधियां अपनानी चाहिए और अपनायी गई प्रक्रियाओं को उचित ढंग से रिकार्ड किया जाना चाहिए । ऐसे सूचनाओं के आधार पर आईबीए बारी-बारी से ऐसी तीसरी पार्टियों की सावधानी सूचियां तैयार करेगा और उन्हें बैंकों को परिचालित करेगा ।

### 3.2.4 कई बैंकिंग व्यवस्थापनों वाले उधारी खातों में धोखाधड़ियां

कुछ बैंकिंग उधारकर्ता वित्तपोषक बैंकों में से एक को धोखा देने के बाद “अनेक बैंकिंग व्यवस्थापनों” के अंतर्गत ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे वित्त पोषक बैंकों से सुविधाएं प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं और कुछ मामलों में उन बैंकों से उच्चतर सीमाएं भी प्राप्त करते हैं । कितिय प्राप्त मामलों में उधारकर्ता उस बैंक से जहाँ धोखाधड़ी की जा रही है, निधियों को दुर्विनियोजन द्वारा स्थानांतरित करने के लिए अन्य वित्त पोषक बैंकों में खोले गए खातों का उपयोग करते हैं । यह विभिन्न ऋणदाता बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु एक औपचारिक व्यवस्था की कमी के कारण है । धोखाधड़ी के कुछ मामलों में उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न बैंकों को दी गई जमानतें एक ही होती हैं ।

इसे देखते हुए, उन सभी बैंकों को जिन्होंने किसी उधारकर्ता को 'अनेक बैंकिंग' व्यवस्थापन के अंतर्गत वित्तपोषित किए हैं, कानूनी/आपराधिक कार्रवाईयों, वसूली हेतु अनुसरण, कार्यप्रणाली पर ब्यौरों के आदान-प्रदान, भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित की गई धोखाधड़ियों पर आंकड़ा/जानकारी में एकरूपता लाने के लिए आमतौर पर सहमत रणनीति के आधार पर समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए । अतएव, किसी धोखाधड़ी का पता लगाने वाले बैंक से यह अपेक्षित है कि वह इसके ब्यौरों को “अनेक बैंकिंग व्यवस्थापनों” के अंतर्गत सभी दूसरे बैंकों के साथ साझा करे ।

### 3.2.5 कुछ चिह्नित बैंकों में विशाल राशियों (मूल्य) की धोखाधड़ियों की घटनाएं होने व धोखाधड़ियों की संख्या में तेजी से वृद्धि के कारण ऐसे बैंकों में नीतिगत खामियों, यदि कोई हो, तो प्राथमिक तौर पर उसे चिह्नित करने व नियंत्रणों की पर्याप्तता हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फोरेंसिक संवीक्षा की गई । संवीक्षाओं के दौरान, प्रणालीगत तथ्यों को भी चिह्नित किया गया । संवीक्षाओं के निष्कर्षों के आधार पर धोखाधड़ियों का पता लगाने एवं उनसे निपटने हेतु

धोखाधड़ियों के तरीकों की पहचान व रिपोर्टिंग, सुधारात्मक उपायों तथा निवारक व दंडात्मक कार्रवाई सहित कारगर कार्य डाचा निर्मित करने के लिए दिनांक 31 मई 2011 के हमारे परिपत्र द्वारा सूचित किया गया था।

3.2.6 बैंक धोखाधड़ी की कार्य प्रणाली के संबंध में अपनी शाखाओं को जारी किए गए परिपत्र की प्रति समय-समय पर होने वाली अपने बोर्ड की बैठकों में इसकी लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

### 3.3 रु. 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ियां

सौ लाख रुपए और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ियों के संबंध में उपर्युक्त पैराग्राफ-3.1 तथा 3.2 में दी गई अपेक्षाओं के अलावा बैंकों को चाहिए कि धोखाधड़ियों की रिपोर्ट, ऐसी धोखाधड़ियां बैंक के प्रधान कार्यालय के ध्यान में आने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई-400005 को संबोधित अर्ध शासकीय पत्र द्वारा करें। पत्र में धोखाधड़ी के संक्षिप्त विवरण जैसे कि धोखाधड़ी की राशि, धोखाधड़ी का स्वरूप, संक्षेप में आपराधिक कार्य-प्रणाली, शाखा/कार्यालय का नाम, धोखाधड़ी में शामिल पार्टियों के नाम (यदि वे स्वामित्व/भागीदारी के प्रतिष्ठान या निजी लिमिटेड कंपनियां हैं, तो मालिकों, भागीदारों तथा निदेशकों के नाम) शामिल अधिकारियों के नाम, तथा पुलिस / सीबीआई के पास शिकायत दर्ज किए जाने के बारे में विवरण दिए जाएं। जिस शाखा में धोखाधड़ी हुई हैं वह बैंक शाखा जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है, अद्वशासकीय पत्र की प्रतिलिपि भारतीय रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय/एसएसएम को भी पृष्ठांकित की जाए।

### 3.4 धोखाधड़ी का प्रयास करने संबंधी मामले

बैंकों को, दिनांक 15 नवंबर 2012 के परिपत्र सं. बैंपवि.धोनिक.बीसी सं.04/23.04.001/2012 -13 के अनुसार ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ी किए जाने के प्रयास के मामलों की सूचना रिजर्व बैंक को देने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, बैंकों को ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के प्रयास किए धोखाधड़ी के अलग-अलग मामलों की रिपोर्ट को इसकी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए। रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल किए जाने चाहिए:

- धोखा देने के प्रयास की कार्यप्रणाली

- किस प्रकार से प्रयास धोखाधड़ी में साकार नहीं हो पाया अथवा प्रयास किस तरह असफल/विफल हो गया
- मौजूदा प्रणालियों व नियंत्रणों को मजबूत बनाने हेतु बैंक द्वारा किए गए उपाय
- उस क्षेत्र में जहाँ धोखाधड़ी का प्रयास किया गया था, नई प्रणालियों व नियंत्रणों को लागू करना

इसके अतिरिक्त , 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष से प्रारंभ करते हुए, उक्त वर्ष के दौरान पता लगाए ऐसे मामलों की समेकित समीक्षा जिसमें प्रचालनों के ऐसे क्षेत्र जहाँ ऐसे प्रयास किए गए, की सूचना, वर्ष के दौरान नई प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों की प्रभावकारिता, पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की प्रवृत्ति, प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों में आगे किसी बदलाव की आवश्यकता , यदि कोई है , इत्यादि 31 मार्च को हर वर्ष संबंधित वर्ष की समाप्ति के तीन महीनों के भीतर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

#### 4. तिमाही विवरणियां

##### 4.1 धोखाधड़ियों के लंबित मामलों पर रिपोर्ट

- 4.1.1 बैंकों को चाहिए कि वे एफएमआर-2 में दिए गए फार्मेट में धोखाधड़ियों के लंबित मामलों की तिमाही रिपोर्ट की एक-एक प्रति संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष ,बंगलूरु तथा उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ एसएसएम को प्रस्तुत करें, जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बैंक का प्रधान कार्यालय कार्यरत है। जानकारी केवल सॉफ्ट कॉपी में दी जाए। जिन बैंकों के पास तिमाही की समाप्ति पर धोखाधड़ियों के कोई लंबित मामले न हों, वे शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
- 4.1.2 रिपोर्ट के भाग-ए में तिमाही के अंतमें धोखाधड़ियों के लंबित मामले शामिल किए जाते हैं । रिपोर्ट के भाग बी तथा सी में तिमाही के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों के क्रमशः श्रेणी-वार तथा अपराधी-वार विवरण दिए जाते हैं । भाग बी तथा सी में दर्शाए अनुसार तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ियों के मामलों की कुल संख्या तथा राशि रिपोर्ट के भाग-ए के कालम सं.4 तथा 5 के कुल जोड़ से मेल खानी चाहिए ।
- 4.1.3 उपर्युक्त रिपोर्ट के भाग के रूप में बैंक इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि तिमाही के दौरान एफएमआर-1 में रिजर्व बैंक को रिपोर्ट किए गए एक लाख रुपए तथा उससे

अधिक के सभी व्यक्तिगत धोखाधड़ी के मामले भी बैंक के बोर्ड के समक्ष रखे गए हैं तथा एफएमआर-2 के भाग ए (कालम 4 तथा 5) एवं भाग बी तथा सी में शामिल किए गए हैं।

#### 4.1.4 धोखाधड़ी के मामले बंद करना

बैंक रु. 1.00 लाख और उससे ऊपर की राशि के धोखाधड़ियों के मामलों का व्यौरा तथा उन्हें बंद किए जाने के कारण नीचे दी गई प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बंगलूरु तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग/एसएसएम के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करेंगे।

तिमाही के दौरान बंद किए गए धोखाधड़ी संबंधी मामलों की सूचना एफएमआर-2 के विवरणी में दी जानी चाहिए तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने से पूर्व एफएमआर-2 विवरणी के संबंधित स्तंभों से इसका मिलान कर लेना चाहिए।

बैंक ऐसे ही मामलों को बंद किए गए मामलों के रूप में सूचित करें जिनमें नीचे लिखे अनुसार कार्रवाई पूरी हो गई हो तथा डीबीएस/एसएसएम के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है :

- क) सीबीआई/पुलिस/न्यायालय में विचाराधीन धोखाधड़ी संबंधी जिन मामलों का अंतिम निपटान हो गया हो।
- ख) स्टाफ के उत्तरदायित्व पक्ष की जांच पूरी हो गई हो।
- ग) धोखाधड़ी की राशि वसूल हो गई हो अथवा बट्टे खाते लिख दी गई हो।
- घ) जहाँ भी लागू हो वहाँ बीमा संबंधी दावे का निपटान हो गया हो।
- ङ) बैंक ने कार्य प्रणाली तथा कार्यविधि की समीक्षा कर ली हो, कारक घटकों का पता लगा लिया हो तथा कमियों को दुरुस्त कर लिया गया हो तथा इस तथ्य को उपयुक्त प्राधिकारी (बोर्ड/बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति) ने प्रमाणित कर दिया हो।

बैंक लंबित मामलों के अंतिम निपटान के लिए, विशेष कर ऐसे मामलों में जहाँ स्टाफ से संबंधित कार्रवाई पूरी हो गई हो, सीबीआई के साथ गंभीरता से अनुवर्ती कार्रवाई करें इसी प्रकार, धोखाधड़ी के मामलों के अंतिम निपटान के लिए पुलिस प्राधिकारियों/न्यायालय के साथ भी गंभीरतापूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई करें।

बैंकों को सीमित सांख्यिकी/प्रतिवेदन उद्देश्यों हेतु रु.25.00 लाख तक की राशि से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों को बंद करने की अनुमति है, जहाँ:

(अ) सीबीआई/पुलिस द्वारा प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक समय तक जांच जारी है अथवा चालान/आरोप पत्र न्यायालय में दायर नहीं हुआ है, अथवा

(ब) सीबीआई/पुलिस द्वारा आरोप पत्र/चालान दायर करने के बाद, न्यायालय में मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, अथवा प्रगति पर है।

बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऐसे मामलों को बंद करने हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग/एसएसएम के क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है, से पूर्व अनुमोदन लेने के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करें तथा ऐसे मामले बंद होने के बाद सीमित सांख्यिकी उद्देश्य हेतु जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 05 जून 2009 के परिपत्र डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी बीसी.सं. 7/23.04.001/2008-09 में निर्दिष्ट है, अनुपालन करें।

## 4.2 धोखाधड़ियों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट (एफएमआर-3)

4.2.1 बैंकों को चाहिए कि वे रु. 1.00 लाख और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ियों पर मामले-वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट एफएमआर-3 में दिए गए सॉफ्ट प्रति फार्मेट में संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केन्द्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बंगलूरु कार्यालय को तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग/एसएसएम के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है।

4.2.2 जिन धोखाधड़ियों के मामले में तिमाही के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई हो, ऐसे मामलों की एक सूची शाखा का नाम तथा सूचना देने की तारीख के संक्षिप्त विवरण सहित एफएमआर-3 के भाग - ख में प्रस्तुत करें।

4.2.3 जिन बैंकों में रु. 1.00 लाख और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ियों का कोई भी मामला बकाया नहीं है वे शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

## 5. बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

### 5.1 धोखाधड़ियों की रिपोर्ट

5.1.1 बैंक यह सुनिश्चित करें कि रु. 1.00 लाख और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों का पता लगने के तुरंत बाद उनके बोर्डों को सूचित किया जाता है।

5.1.2 ऐसी रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित शाखा अधिकारियों तथा नियंत्रक प्राधिकारियों के स्तर पर हुई चूकों का उल्लेख किया जाए तथा धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के लिए विचार किया जाए।

## 5.2 धोखाधड़ीयों की तिमाही समीक्षा

5.2.1 जैसा कि 04 जनवरी 2013 के परिपत्र सं. बैंपवि.धोनिक.बीसीसं.5/23.04.001/2012-13 द्वारा सूचित किया गया था कि मार्च, जून तथा सितंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए धोखाधड़ीयों से संबंधित जानकारी संबंधित तिमाही के अगले माह के दौरान निदेशक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए, भले ही, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समीक्षा कैलेंडर के अनुसार इन्हें बोर्ड / प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो अथवा न हो।

5.2.2 इनके साथ ऐसी अनुपूरक सामग्री होनी चाहिए, जिसमें सांख्यिकीय सूचना और प्रत्येक धोखाधड़ी के व्यौरों का विश्लेषण किया गया हो ताकि बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के पास धोखाधड़ीयों के दंडात्मक अथवा निवारक पहलुओं के संबंध में कारगर रूप से योगदान देने के लिए पर्याप्त सामग्री हो।

5.2.3 निर्धारित मार्च को समाप्त वर्ष के लिए नीचे 5.3 पैरा पर निर्धारित किए अनुसार वार्षिक समीक्षा के महेनज़र मार्च को समाप्त तिमाही के लिए अलग से समीक्षा आवश्यक नहीं है।

5.2.4 बैंकों से अपेक्षित है कि वे रु. 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों की पूरी तरह से निगरानी तथा अनुपालन हेतु एक विशिष्ट समिति का गठन करें, जबकि बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करना जारी रखे। सरकारी बैंकों के मामले में विशेष समिति में सीएमडी को शामिल किया जाना चाहिए तथा भारतीय स्टेट बैंक/इसके सहयोगी बैंकों के मामले में इसमें एमडी सम्मिलित होने चाहिए। निजी बैंकों के मामले में, दो सदस्य एसीबी से, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती को छोड़कर दो सदस्य बोर्ड से होने चाहिए।

5.2.5 रु. 1.00 करोड़ और उससे ऊपर की धोखाधड़ीयों की निगरानी एवं समीक्षा करना विशेष समिति के महत्वपूर्ण कार्य होंगे ताकि :

- प्रणालीगत कमियां, यदि कोई हो, चिह्नित करना जिससे धोखाधड़ी करने में मदद मिली हो और इसे दूर करने के लिए उपाय लागू करना

- पता लगाने में हुए विलंब के कारणों, यदि कोई हो, की पहचान करना, बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करना
- सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति एवं वसूली की स्थिति की निगरानी
- धोखाधड़ियों के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ-सदस्यों की जबाबदेही सुनिश्चित करना एवं यदि अपेक्षित हो, विना समय गवाएं स्टाफ की तरफ से कार्रवाई शीघ्रतापूर्वक पूरी करना।
- धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई यथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करना, की प्रभावकारिता की समीक्षा करना
- धोखाधड़ियों के विरुद्ध सुधारात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए उचित समझे जाने वाले अन्य उपाय लागू करना।

सभी भारतीय वाणिज्य बैंकों के मामलों में रु.1.00 करोड़ और उससे ऊपर मूल्य की सभी धोखाधड़ियों की निगरानी व समीक्षा बोर्ड की विशेष समिति द्वारा की जाएगी। विशेष समिति के बैठकों की आवधिकता घटित मामलों की संख्या के अनुसार तय की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, जैसे और जब भी रु.1.00 करोड़ और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ियों का मामला प्रकाश में आता है, समिति की बैठक होनी चाहिए और उसमें इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

**5.2.6** बैंकों को चाहिए कि वे समिति के निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु नीतिगत दस्तावेज में प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख करें और इस संबंध में दस्तावेज को निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु बैंक के एक कार्यक्रम उपकरण के रूप में होना चाहिए।

### **5.3 धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा**

**5.3.1** बैंकों को चाहिए कि वे धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा करें तथा निदेशक बोर्ड / स्थानीय परामर्शी बोर्ड के समक्ष जानकारी देने के लिए नोट प्रस्तुत करें। मार्च को समाप्त वर्ष के लिए समीक्षाएं अगली तिमाही के अंत से पहले अर्थात् 30 जून को समाप्त तिमाही हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। ऐसे समीक्षा नोट भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों के सत्यापन के लिए संभालकर रखा जाए।

**5.3.2** ऐसी समीक्षा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित मुद्दे शामिल किये जाएं :

(क) क्या एकवार धोखाधड़ी हो जाने पर कम से कम समय में उस का पता लगाने के लिए बैंक में विद्यमान प्रणाली पर्याप्त है?

- (ख) क्या धोखाधड़ियों की स्टाफ की दृष्टि से जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक है, वहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में आगे कार्रवाई के लिए मामले सतर्कता कक्ष को सूचित किये जाते हैं?
- (ग) क्या जहां कहीं उपयुक्त पाया गया वहां जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के लिए निवारक सजा दी गई?
- (घ) क्या धोखाधड़ियां प्रणालियों और क्रियाविधियों का पालन करने में शिथिलता के कारण हुई और यदि ऐसा हो तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कारगर कार्रवाई की गयी कि संबंधित स्टाफ द्वारा प्रणालियों और क्रियाविधियों का पूरी सावधानी से पालन किया जाता है।
- (ङ) क्या धोखाधड़ियों के बारे में, यथास्थिति, स्थानीय पुलिस या सीबीआई को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच-पड़ताल के लिए सूचना दी गई है।

**5.3.3 वार्षिक समीक्षाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित ब्यौरे भी शामिल होने चाहिए:**

- (क) वर्ष के दौरान पता लगायी गई कुल धोखाधड़ियां तथा पिछले दो वर्ष की तुलना में उनमें फंसी हुई राशि।
- (ख) पैरा 2.1 में दी गई विभिन्न श्रेणियों के अनुसार धोखाधड़ियों का विश्लेषण तथा बकाया धाखाधड़ियों पर तिमाही रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों का भी विश्लेषण (एफएमआर-2 के अनुसार)।
- (ग) वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई मुख्य-मुख्य धोखाधड़ियों की वर्तमान स्थिति सहित उनकी आपराधिक कार्य-प्रणाली।
- (घ) एक लाख रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ियों का ब्यौरे-वार विश्लेषण।
- (ङ) वर्ष के दौरान धोखाधड़ियों के कारण बैंक को हुई अनुमानित हानि, वसूल हुई राशि तथा किए गए प्रावधान।
- (च) जहां स्टाफ शामिल है, ऐसे मामलों की संख्या (राशि सहित) एवं उनके खिलाफ की गई कार्रवाई।
- (छ) क्षेत्र-वार/ अंचल-वार/राज्य-वार धोखाधड़ियों का विश्लेषण तथा फंसी हुई राशि।
- (ज) धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने में लगा समय (धोखाधड़ी होने के तीन महीने, छह महीने, एक वर्ष के भीतर पता लगाये गये मामलों की संख्या)।
- (झ) सीबीआई/पुलिस को रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की स्थिति।

(ज) धोखाधड़ी के ऐसे मामलों की संख्या जिनमें बैंक द्वारा अंतिम कार्रवाई हो गयी है और मामले निपटा दिए गए हैं।

(ट) धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी करने/उन्हें न्यूनतम रखने के लिए बैंक द्वारा वर्ष के दौरान किये गये निवारक/दण्डात्मक उपाय।

5.3.4 निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों में सर्वकार्य को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समान करने हेतु इस मामले में कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों एवं विदेशी बैंकों के वर्तमान सर्वकार्य का परीक्षण वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ किया गया तथा यह पाया गया कि बैंकों के मध्य कार्यप्रणालियाँ व्यापक रूप से भिन्न हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों व विदेशी बैंकों हेतु विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 26 मई 2011 को जारी किए गए ताकि समयोचित तथा उचित कार्रवाई हेतु निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की कार्यप्रणालियों में कमियां विशेषतः भ्रष्टाचार, कुप्रथाओं, धोखाधड़ियों इत्यादि से उत्पन्न सभी विषयों पर ध्यान दिया जा सके। उक्त विस्तृत दिशानिर्देशों का उद्देश्य आंतरिक सर्वकार्य के कार्य में एकरूपता तथा युक्ति संगतता लाना है। निजी क्षेत्र के बैंकों (भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित) को सूचित किया गया है कि वे उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक सर्वकार्य तंत्र की एक प्रणाली लागू करें।

## 6. पुलिस/सीबीआई को धोखाधड़ियों की सूचना देने हेतु दिशा-निर्देश:

6.1 निजी क्षेत्र के बैंकों (भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित) को अवैध तुष्टीकरण के लिए बैंक द्वारा दी गयी अनधिकृत क्रृष्ण सुविधाएँ, लापरवाही और नकदी कम हो जाने, छल, जालसाजी आदि जैसी धोखाधड़ियों के संबंध में राज्य पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए:

(क) धोखाधड़ियों/गबन के मामलों पर कार्रवाई करते हुए बैंकों को, मात्र संबंधित राशि के शीघ्र वसूल करने के लिए ही प्रवृत्त नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें लोक-हित से और यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित होना चाहिए कि दोषी व्यक्ति दण्डित हुए बिना नहीं छूटें।

(ख) अतः सामान्य नियमानुसार निम्नलिखित मामले अनिवार्यतः राज्य पुलिस के पास भेजे जाने चाहिए:

(i) बाहरी व्यक्तियों द्वारा स्वयं तथा/या बैंक के स्टाफ / अधिकारियों की सांठगांठ से बैंक में एक लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामले।

(ii) बैंक के कर्मचारियों द्वारा किये गये धोखाधड़ी के मामले, जिनमें 10,000 रुपये से अधिक की बैंक निधियां शामिल हों।

(ग) रु. 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामले निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office), कंपनी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 को भी एफ एम आर-1 फॉर्मेट में रिपोर्ट किये जाने चाहिए।

6.2 सरकारी क्षेत्र के बैंक, रु. 3.00 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को तथा रु. 3.00 करोड़ से कम राशि के मामले स्थानीय पुलिस को नीचे लिखे अनुसार रिपोर्ट करें:

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को संदर्भित किए जाने वाले मामले

(क) रु. 3.00 करोड़ और उससे अधिक तथा रु. 15.00 करोड़ तक के मामले

- जहाँ प्रथम दृष्ट्या स्टाफ की संलिप्तता स्पष्ट हो - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (भ्रष्टाचार निरोधी शाखा)
- जहाँ प्रथम दृष्ट्या स्टाफ की संलिप्तता स्पष्ट न हो - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (आर्थिक अपराध स्कंध)

(ख) रु. 15.00 करोड़ से अधिक के सभी मामले - संबंधित केंद्रों के बैंकिंग प्रतिभूति तथा धोखाधड़ी कक्ष, जो कि बड़ी बैंक धोखाधड़ियों के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों के आर्थिक अपराध स्कंध का विशेषज्ञता प्राप्त कक्ष है।

स्थानीय पुलिस को संदर्भित किए जानेवाले मामले

रु. 3.00 करोड़ से कम मूल्य के मामले - स्थानीय पुलिस

- i) रु. 1.00 लाख तथा उससे अधिक मूल्य की वित्तीय धोखाधड़ियों के ऐसे मामले की सूचना जिनमें बाहरी व्यक्ति (प्राइवेट पार्टियों) तथा बैंक स्टाफ संलिप्त हों, संबंधित बैंक के क्षेत्रीय प्रधान द्वारा संबंधित राज्य के राज्य सीआइडी/आर्थिक अपराध विंग के वरिष्ठ अधिकारी को दी जानी चाहिए।
- ii) रु. 1.00 लाख से कम किंतु रु. 10,000/- से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की सूचना बैंक की संबंधित शाखा द्वारा स्थानीय पुलिस को दी जानी चाहिए।
- iii) रु. 10,000/- से कम मूल्य की धोखाधड़ी के सभी मामले जिनमें बैंक स्टाफ संलिप्त हो, बैंक के क्षेत्रीय प्रधान को संदर्भित किए जाने चाहिए जो कि प्रत्येक मामले का सूक्ष्म विश्लेषण करेगा तथा बैंक की संबंधित शाखा को इस विषय में निर्देश देगा कि इसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करना चाहिए अथवा नहीं।

6.3 माँग ड्राफ्ट/तार अंतरण/भुगतान आदेश/चेक/लाभांश वारंट, आदि को धोखाधड़ी कर भुनाने के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करना

- 6.3.1 जाली दस्तावेजों वाली धोखाधड़ियों के मामले में अदाकर्ता बैंकर को पुलिस में शिकायत (एफआइआर) दर्ज करनी चाहिए न कि वसूली बैंकर को।
- 6.3.2 तथापि, ऐसी लिखतों की वसूली के मामले में, जो वास्तविक हों लेकिन राशि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त कर ली गई हो जो कि वास्तविक मालिक नहीं है, तो वसूलीकर्ता बैंक को, जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, पुलिस में शिकायत (एफआइआर) दर्ज करानी चाहिए।
- 6.3.3 लिखत वसूली के ऐसे मामले, जहाँ वसूली से पूर्व रकम की जमा प्रविष्टि कर दी गई हो तथा बाद में लिखत नकली/फर्जी पाई गई हो तथा अदाकर्ता बैंक द्वारा लौटा दी गई हो, वहाँ वसूलीकर्ता बैंक को, जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, पुलिस में शिकायत (एफआइआर) दर्ज करानी चाहिए क्योंकि वसूली से पूर्व रकम अदा करने के कारण उसका नुकसान हुआ है।
- 6.3.4 रूपांतरित/जाली चेक उगाही के मामलों में, जहाँ एक ही बैंक की दो या अधिक शाखाएं शामिल हैं, उस शाखा को जहाँ रूपांतरित/जाली लिखत भुनाया गया है, पुलिस शिकायत दर्ज करवानी चाहिए।
- 6.3.5 सीबीएस के अंतर्गत रूपांतरित/जाली चेक के भुगतान/नकदीकरण के मामले में, जहाँ एक बैंक की दो या अधिक शाखाएं शामिल हैं, उस शाखा को जिसने धोखाधड़ी द्वारा निकासी पर भुगतान अवमुक्त किया है, पुलिस शिकायत दर्ज करवानी चाहिए।

## 7. बैंक में चोरी, सेंधमारी, डकैती और लूटमार होने की सूचना देना

7.1 बैंकों को चाहिए कि वे बैंक में लूटमारी, डकैती, चोरी तथा सेंधमारी की घटनाओं की रिपोर्ट, उनके होने पर तत्काल फैक्स/ई-मेल द्वारा निम्नलिखित प्रधिकारियों को देने की व्यवस्था करें।

- (क) महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 10/3/8, नृपथंगा रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 5467 बंगलूरु -560001
- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय

जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है।

(ग) देश के 12 बड़े बैंकों के संबंध में वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। जिनके नाम अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रभावित बैंक शाखा स्थित है ताकि क्षेत्रीय कार्यालय राज्य स्तरीय सुरक्षा बैठकों के दौरान संबंधित प्राधिकारियों (पृष्ठांकन) के साथ सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित मामलों को उठा सकें।

(घ) सुरक्षा परामर्शदाता, केंद्रीय सुरक्षा कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई - 400 001.

(ङ) वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, जीवन दीप, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

इस रिपोर्ट में घटना की कार्यप्रणाली के विवरण तथा अन्य सूचना एफएमआर-4 के कालम 1 से 11 में दी गई सूचनानुसार होनी चाहिए।

7.2 बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बंगलूरु तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/एसएसएम के उस क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है, तिमाही से संबंधित सभी मामलों को शामिल करते हुए एफएमआर-4 (सॉफ्ट कॉपी) में दिए गए फार्मेट में तिमाही समेकित विवरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। यह संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7.3 जिन बैंकों में तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए जाने हेतु चोरी, सेंधमारी, डैकैती तथा/या लूटमारी की कोई घटनाएं नहीं हुई हैं, वे शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

## अनुबंध

वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) के पर्यवेक्षी दायरे में आनेवाले बैंकों की सूची :

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. बैंक ऑफ बड़ौदा
3. बैंक ऑफ इण्डिया
4. केनरा बैंक
5. पंजाब नेशनल बैंक
6. एक्सिस बैंक
7. एचडीएफसी बैंक लि
8. कोटक महिंद्रा बैंक
9. आईसीआईसीआई बैंक
10. सीटी बैंक एन ए
11. एचएसबीसी लि
12. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
13. युनियन बैंक ऑफ इण्डिया
14. येस बैंक
15. ड्यूश बैंक (एशिया)
16. क्रेडिट अग्रिकोल सिअईबी
17. बैंक ऑफ अमेरिका
18. बीएनपी परिवास
19. जे पी मॉर्गन चेज़ बैंक एन.ए
20. बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया
21. सोसायटी जनरल
22. रोयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड
23. बार्कलेज बैंक पीएलसी
24. डीबीएस बैंक
25. इंडसइंड बैंक लि
26. इंडियन बैंक
27. फेडरल बैंक
28. अईएनजी वैश्य बैंक
29. ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स

## एफएमआर - 1

बैंकों में वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ियों के संबंध में रिपोर्ट  
(पैराग्राफ 3 के अनुसार)

### भाग क : धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट

1	बैंक का नाम	<input type="text"/>
2	धोखाधड़ी संख्या 1	<input type="text"/>
3	शाखा का व्यौरा 2 -	
	(क) शाखा का नाम	<input type="text"/>
	(ख) शाखा का प्रकार	<input type="text"/>
	(ग) स्थान	<input type="text"/>
	(घ) ज़िला	<input type="text"/>
	(ङ) राज्य	<input type="text"/>
4	मुख्य पार्टी / खाते का नाम 3	<input type="text"/>
5	(क) वह परिचालन क्षेत्र जिसमें धोखाधड़ी हुई है 4	<input type="text"/>
	(ख) क्या धोखाधड़ी उधार खाते में हुई	<input type="text"/> हां / नहीं
6	(क) धोखाधड़ी का स्वरूप 5	<input type="text"/>

- (ख) क्या धोखाधड़ी में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया ?
- (ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा
- 7 धोखाधड़ी की कुल राशि <sup>6</sup> (लाख रुपयों में)
- 8 (क) धोखाधड़ी होने की तारीख <sup>7</sup>
- (ख) पता लगने की तारीख <sup>8</sup>
- (ग) धोखाधड़ीका पता लगने में हुए विलंब , यदि कोई हो, के कारण
- (घ) भारिबैं को सूचित करने की तारीख <sup>9</sup>
- (ङ) भारिबैं को धोखाधड़ी की सूचना देने में हुई देरी, यदि कोई हो, के कारण
- 9 (क) संक्षिप्त इतिहास
- (ख) कार्यप्रणाली
- 10 यह धोखाधड़ी निम्नलिखित में से किसने की -
- (क) स्टाफ  हां / नहीं
- (ख) ग्राहक  हां / नहीं
- (ग) बाहर के लोग  हां / नहीं

11	(क) क्या नियंत्रक कार्यालय (क्षेत्रीय / आंचलिक) शाखा द्वारा प्रस्तुत नियंत्रक विवरणियों की संवीक्षा से धोखाधड़ी का पता लगा सका ?	हां / नहीं
	(ख) क्या सूचना प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ?	हां / नहीं
12	(क) क्या शाखा (शाखाओं) में पहली बार यह धोखाधड़ी होने की तारीख और उसका पता चलने के बीच की अवधि के दौरान आंतरिक निरीक्षण / लेखा-परीक्षा (समवर्ती लेखा-परीक्षा सहित) की गई थी ।	हां / नहीं*
	(ख) यदि हां, तो ऐसे निरीक्षण / लेखा-परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी का पता क्यों नहीं चला ?	
	(ग) ऐसे निरीक्षण / लेखा-परीक्षा में धोखाधड़ी का पता न लगा सकने पर क्या कार्रवाई की गई ?	
13	की गई / प्रस्तावित कार्रवाई -	
	(क) पुलिस / सीबीआई में शिकायत -	
	(i) क्या पुलिस / सीबीआई के पास कोई शिकायत दर्ज कराई गई है ?	
	(ii) यदि हां, तो सीबीआई / पुलिस कार्यालय / शाखा का नाम -	
	(1) मामला सूचित करने की तारीख	
	(2) मामले की वर्तमान स्थिति	
	(3) पुलिस / सीबीआई जांच पूरी होने की तारीख	
	(4) पुलिस / सीबीआई द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	

(iii) यदि पुलिस / सीबीआई में रिपोर्ट नहीं की गई तो उसके कारण

(ख) ऋण वसूली प्राधिकरण / न्यायालय में वसूली संबंधी वाद -

(i) वाद दायर करने की तारीख

(ii) वर्तमान स्थिति

(ग) बीमा संबंधी दावा -

(i) क्या किसी बीमा कंपनी में कोई दावा दाखिल किया गया है

 हाँ / नहीं

(ii) यदि नहीं, तो उसके कारण

(घ) स्टाफ संबंधी कार्रवाई का व्यौरा -

(i) क्या कोई आंतरिक अन्वेषण किया गया है / प्रस्तावित है ?

(ii) यदि हाँ, जांच पूरी होने की तारीख

(iii) क्या कोई विभागीय जांच की गई है / प्रस्तावित है ?

(iv) यदि हाँ, तो नीचे दिए गए फॉर्मेट के अनुसार व्यौरा दें :

(v) यदि नहीं, तो उसके कारण

(ङ) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उठाये गए / प्रस्तावित कदम

14 (क) वसूल की गई कुल राशि -

(i) संबंधित पार्टी / पार्टियों से वसूल की गई राशि

(ii) बीमा से

(iii) अन्य स्रोतों से

(ख) बैंक को हुए नुकसान की मात्रा

(ग) रखा गया प्रावधान

(घ) बट्टे खाते लिखी गई राशि

भारिबं के विचारार्थ सुझाव

  
  

सं.	नाम	पदनाम	क्या निलंबित किया गया / निलंबन की तारीख	आरोप-पत्र जारी करने की तारीख	आंतरिक जांच शुरू करने की तारीख	जांच पूरी होने की तारीख	अंतिम आदेश जारी करने की तारीख	दिया गया दंड	अभियोजन / सज्ञा / रिहाई, आदि का व्यौरा

\* निरीक्षण / लेखा-परीक्षण के प्रकार (आंतरिक / साँविधिक / समवर्ती) का स्पष्ट उल्लेख करें।

## भाग ख : उधार खातों में धोखाधड़ी संबंधी अतिरिक्त जानकारी

(इस भाग को 5 लाख रुपए और उससे अधिक की राशि के सभी उधार खातों में हुई धोखाधड़ियों के संबंध में भरा जाए)

क्र. सं.	पार्टी का प्रकार	पार्टी / खाते का नाम	पार्टी का पता

### उधार खाते का व्यौरा

पार्टी क्र.सं.	पार्टी / खाते का नाम	उधार खाता क्र.संख्या	खाते का स्वरूप	मंजूरी की तारीख	स्वीकृत सीमा	बकाया शेष

### उधारखाते के निदेशक / स्वामी का व्यौरा

पार्टी / खाते का नाम	क्र.सं.	निदेशक / स्वामी का नाम	पता

### सहायक संस्था

पार्टी / खाते का नाम	सहायक संस्था क्र.	सहायक संस्था का नाम	पता

### सहायक संस्था के निदेशक / स्वामी

सहायक संस्था का नाम	क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पता

## धोखाधड़ी रिपोर्ट (एफएमआर-1) संकलित करने के अनुदेश :

- 1 धोखाधड़ी संख्या : इसे कंप्यूटरीकरण और प्रति संदर्भ संबंधी सुविधा प्रदान करने को महेनज़र रखते हुए प्रारंभ किया गया है। संख्या अल्फान्यूमेरिक फ़िल्ड होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : चार अक्षर (बैंक का नाम दर्शाने के लिए), वर्ष के लिए दो अंक (02, 03 आदि), तिमाही के लिए दो अंक (जनवरी-मार्च तिमाही आदि के लिए 01,) और अंतिम चार अंक, तिमाही में सूचित की गई धोखाधड़ी के लिए विशिष्ट कूटांक होंगे।
- 2 शाखा का नाम : यदि धोखाधड़ी एक से अधिक शाखा से संबंधित हो तो केवल किसी एसी शाखा का नाम दर्शाएं जहां पर धोखाधड़ियों में शामिल राशि सबसे अधिक हो और / अथवा जो मुख्यतः धोखाधड़ी के संबंध में मुख्य रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही हो। अन्य शाखाओं के नाम मद सं.8 के सामने संक्षिप्त इतिहास / कार्यप्रणाली में दर्शाएं जाएं।
- 3 पार्टी का नाम : धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए सुस्पष्ट नाम दिया जाए। उधार खातों में होने वाली धोखाधड़ियों के मामले में, उधारकर्ता का नाम दिया जाए। कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ियों के मामले में, धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए कर्मचारी / कर्मचारियों का / के नाम / नामों को प्रयोग में लाया जा सकता है। जहां धोखाधड़ी हो गई है, जैसे कि समाशोधन खाते / अंतर-शाखा में, और धोखाधड़ी में शामिल किसी कर्मचारी विशेष को तत्समय पहचान पाना संभव न हो तो उसे केवल "समाशोधन / अंतर-शाखा खाते में धोखाधड़ी" के रूप में ही मान लिया जाए।
- 4 वह परिचालन क्षेत्र जहां धोखाधड़ी हुई है : विवरण एफएमआर-2 (भाग क) के कॉलम 1 में दिए गए संबद्ध क्षेत्र दर्शाएं यथा [नकदी; जमा (बचत / चालू / मीयादी); अनिवासी खाते; अग्रिम (नकद ऋण / मीयादी ऋण / बिल / अन्य); विदेशी मुद्रा लेन-देन; अंतर-शाखा खाते; चेक /मांग ड्राफ्ट, आदि; समाशोधन, आदि, खाते; तुलन-पत्र से इतर (साख पत्र / गारंटी / सह-स्वीकृति, अन्य ऋण ]; कार्ड / इन्टरनेट - क्रेडिट कार्ड ; एटीएम/डेबिट कार्ड; इंटरनेट बैंकिंग;अन्य )
- 5 धोखाधड़ी का स्वरूप : निम्नलिखित में से उस संबद्ध श्रेणी की संख्या चुनें जो धोखाधड़ी के स्वरूप का उत्तम वर्णन करती हो : (1) दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वास भंग, (2) जाली लिखतों, लेखा-वहियों में हेर-फेर अथवा बेनामी खातों के जरिए कपटपूर्ण नकदीकरण और संपत्ति का परिवर्तन, (3) पुरस्कार स्वरूप अथवा अवैध तुष्टीकरण के लिए दी गई अनधिकृत ऋण सुविधाएं। (4) लापरवाही और नकदी में कमी (5) छल और जालसाज़ी (6) विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देनों में अनियमितताएं (7) अन्य।

- 6 धोखाधड़ी की कुल राशि : सभी स्थानों पर राशि को दशमलव में दो अंकों तक लाख रूपए में दर्शाया जाए ।
- 7 धोखाधड़ी होने की तारीख : यदि धोखाधड़ी होने की सही तारीख को बता पाना कठिन हो (उदाहरण के रूप में, यदि चौरियां किसी अवधि के दौरान हुई हों, अथवा यदि उधारकर्ता का विशिष्ट व्यवहार, जो बाद में गलत पाया गया हो, की वास्तविक तारीख सुनिश्चित करना संभव न हो) तो कोई ऐसी नोशनल तारीख दर्शाई जाए जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई धोखाधड़ी की सबसे अधिक संभाव्य तारीख हो सकती हो (उदाहरणार्थ वर्ष 2002 में हुई किसी धोखाधड़ी के लिए 1 जनवरी, 2002) । विशिष्ट व्यौरा, जैसे कि वह अवधि, जिसमें धोखाधड़ी की गई, इतिहास / कार्यप्रणाली में दिया जाए ।
- 8 पता लगने की तारीख : यदि वास्तविक तारीख का पता न हो (जैसे कि निरीक्षण / लेखा-परीक्षा के दौरान पाई गई धोखाधड़ी के मामले में अथवा धोखाधड़ी का ऐसा मामला जो रिजर्व बैंक के निर्देशों पर सूचित किया गया हो), तो ऐसी नोशनल तारीख दर्शाई जाए जिस दिन धोखाधड़ी होने का पता चला हो ।
- 9 भारिबैं को सूचित करने की तारीख : सूचित करने की तारीख एक समान रूप से वह तारीख होनी चाहिए जो फॉर्म एफएमआर-1 में भारिबैं को भेजी गई धोखाधड़ी की विस्तृत रिपोर्ट में दी गई हो न कि किसी फैक्स अथवा अ.शा.पत्र की कोई ऐसी तारीख जो इस रिपोर्ट से पहले भेजा गया हो ।  
\* बैंकों को शाखा की लेखापरीक्षा जो संगामी लेखापरीक्षा, आंतरिक निरीक्षण आदि के अधीन है, का स्पष्ट उल्लेख करना है।

10 ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/महानगरीय

11 उच्च/सामान्य/निम्न

12 डैकैती/लूटमार/चोरी/सेंधमारी

## एफएमआर - 2

### बकाया धोखाधड़ियों से संबंधित तिमाही रिपोर्ट (पैरा 4.1 के अनुसार)

बैंक का नाम : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट

#### भाग – क: बकाया धोखाधड़ियां

देशी / विदेशी

(राशि लाख रुपयों में)

संवर्ग	पिछली तिमाही की समाप्ति पर बकाया मामलों की स्थिति		विद्यमान तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए गए नए मामले		विद्यमान तिमाही के दौरान बंद किए गए मामले		तिमाही की समाप्ति पर बकाया मामले		वसूली गई कुल राशि	इस तिमाही के अंत में बकाया मामलों के लिए किया गया प्रावधान	विद्यमान तिमाही के दौरान वसूली गई राशि	विद्यमान तिमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं. (2+4+ 6)	बशि (3+5- 7)	राशि	राशि	राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नकदी												
जमाराशियां -												
(i) बचत												
(ii) चालू												
(iii) मीयादी												
अनिवासी खाते												
अग्रिम -												
(i) नकदी ऋण												
(ii) मीयादी ऋण												
(iii) बिल												
(iv) अन्य												
विदेशी मुद्रा लेन-देन												
अंतर-शाखा खाते												
चेक / मांग ड्राफ्ट, आदि												
समाशोधन, आदि खाते												
तुलन-पत्र से इतर -												
(i) साख-पत्र												
(ii) गारंटी												
(iii) सह-स्वीकृति												

(iv) अन्य												
अन्य												
कार्ड/इंटरनेट - (i) क्रेडिट कार्ड												
(ii) एटीएम / डेबिट कार्ड												
(iii) इंटरनेट बैंकिंग												
अन्य												
कुल												

नोट : वे भारतीय बैंक जिनके विदेश में कार्यालय / शाखाएं हैं, उनके उपर्युक्त आंकड़े देशी स्थिति से संबंधित रहेंगे। उनकी विदेशी शाखाओं / कार्यालयों से संबंधित आंकड़े इसी उपर्युक्त फार्मेट में एक अलग शीट पर दर्शाएं जाएं।

#### भाग-ख : -तिमाही के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधिकारियों का श्रेणी-वार वर्गीकरण

बैंक का नाम : -----

श्रेणी	दुर्विनियोज न तथा आपराधिक विश्वासघात	धोखे से नकदीकरण/ लेखा- बाहियों में हेराफेरी तथा संपत्ति का परिवर्तन	गैर-कानूनी परितुष्टि के लिए अनधिकृत ऋण सुविधा देना	लापरवाही तथा नकदी कम हो जाना	धोखेबाज़ी तथा जालसाज़ी	विदेशी मुद्रा लेनदेनों में अनियमित ताएं	अन्य		कुल			
							सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
एक लाख रुपए से कम												
एक लाख रुपए <sup>१</sup> और उससे अधिक किन्तु 100 लाख रुपए <sup>१</sup> से कम												
100 लाख रुपए <sup>१</sup> और उससे अधिक												
कुल												

**भाग -ग : - तिमाही के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों का अपराधी-वार वर्गीकरण**

**बैंक का नाम :**-----

श्रेणी	स्टाफ		ग्राहक		बाहरी व्यक्ति		स्टाफ तथा ग्राहक		स्टाफ तथा बाहरी व्यक्ति		ग्राहक तथा बाहरी व्यक्ति		स्टाफ, ग्राहक तथा बाहरी व्यक्ति		कुल		
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	
एक लाख रुपए से कम																	
एक लाख रुपए और उससे अधिक किन्तु 100 लाख रुपए से कम																	
100 लाख रुपए और उससे अधिक																	
कुल																	

- नोट :** 1. उपर्युक्त श्रेणी-वार वर्गीकरण मुख्यतः भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों पर आधारित है।  
2. सभी राशियां लाख रुपयों में दो दशमलव अंकों तक दर्शाई जाएं।

#### प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पिछली तिमाही के दौरान रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई एक लाख रुपए और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियां बैंक के बोर्ड को भी रिपोर्ट की गई हैं तथा उपर्युक्त भाग क (कॉलम 4 तथा 5) एवं भाग ख तथा ग में शामिल की गई हैं।

हस्ताक्षर:

नाम तथा पदनाम:

स्थान:

दिनांक:

**एफएमआर-3**  
**विशाल राशि (मूल्य) की धोखाधड़ियों संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट**  
(पैराग्राफ 4.2 के अनुसार)

बैंक का नाम: -----

----- को समाप्त तिमाही के लिए विवरण

**भाग-क: संक्षिप्त सूचना**

	संख्या	धोखाधड़ी की राशि (लाख रुपयों में)
1. बकाया मामले		
2. मामले, जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है (नीचे भाग-ख में दिए हुए फार्मेट के अनुसार मामले-वार ब्यौरे प्रस्तुत करें )		
3. मामले जिनमें प्रगति हुई है (नीचे भाग-ग में दिए हुए फार्मेट के अनुसार मामले-वार ब्यौरे प्रस्तुत करें)		

**भाग-ख: जिन मामलों में कोई प्रगति नहीं हुई है उनके ब्यौरे**

सं.	शाखा का नाम	धोखाधड़ी सं.	पार्टी/खाते का नाम	राशि (लाख रुपयों में)

भाग-ग: प्रगति के मामले-वार व्यौरे

पार्टी/खाते का नाम : \_

शाखा/कार्यालय का नाम : \_

धोखाधड़ी की राशि : \_

(लाख रुपयों में)

धोखाधड़ी सं. : \_

1. प्रथम बार सूचना देने की तारीख

2. (क) ऋण वसूली प्राधिकरण/न्यायालय में वसूली वाद  
दायर करने की तारीख

(ख) वर्तमान स्थिति

3. पिछली तिमाही के अंत तक की गई वसूलियां  
(लाख रुपयों में)

4. तिमाही के दौरान की गयी वसूलियां  
(लाख रुपयों में)

(क) संबंधित पार्टी/पार्टियों से

(ख) बीमा से

(ग) अन्य स्रोतों से

5. कुल वसूलियां (3+4) (लाख रुपयों में)

6. बैंक को हुई हानि (लाख रुपयों में)

7. किए गए प्रावधान (लाख रुपयों में)

8. बटे-खाते डाली गई राशि (लाख रुपयों में)

9. (क) पुलिस/सीबीआई को मामला रिपोर्ट किए  
जाने की तारीख

(ख) पुलिस/सीबीआई जांच पूरी होने की तारीख

(ग) पुलिस/सीबीआई द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए  
जाने की तारीख

10. स्टाफ पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे

सं.	नाम	पदनाम	क्या निलंबन किया गया/ निलंबन की तारीख	आरोप-पत्र जारी करने की तारीख	आंतरिक जांच प्रारंभ होने की तारीख	जांच पूरी होने की तारीख	अंतिम आदेश जारी करने की तारीख	दिया गया दंड	अभियो- जन/सज्जा/ दोषमुक्ति आदि के ब्यौरे

11. अन्य घटनाक्रम

12. क्या तिमाही के दौरान मामला बंद  
किया गया

हां/नहीं

13. मामला बंद करने की तारीख

**एफएमआर-4**  
**डैकैतियां/लूटमार/चोरी/सेंधमारी की रिपोर्ट**  
**(पैराग्राफ 7 के अनुसार)**

बैंक का नाम:-----

..... को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट

शाखा का नाम	पता	ज़िला	राज्य	शाखा का प्रकार 10	जोखिम वर्गीकरण 11	क्या शाखा में मुद्रा तिजोरी है ?	मामले का प्रकार 12	घटना की तारीख तथा समय	धोखाधड़ी की राशि (लाख रुपयों में)	वसूली गई राशि (लाख रुपयों में)	निपटाया गया बीमा-दावा (लाख रुपयों में)	गिरफ्तारी	
												स्टाफ	लुटेरे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

मारे गए			घायल		अभियुक्त		अदा किया गया मुआवजा		की गई कार्रवाई	अपराध सं. तथा पुलिस स्टेशन का नाम, जहां अपराध दर्ज किया गया	कार्य प्रणाली
स्टाफ	लुटेरे	अन्य	स्टाफ	अन्य	स्टाफ	लुटेरे	स्टाफ	अन्य			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26